

NOTICE

All parents are hereby informed that, in accordance with the Rajasthan School Fee Regulation Act 2016 and Rules 2017, a Fee Committee has been constituted in our school for determining the fees for the academic session 2025-26. For this, as per the regulations, a fee of ₹50.00 (fifty rupees) must be deposited by 10-08-2024 to apply for membership in the committee, either online (on the RTE portal) or by visiting the school and filling out the prescribed form. Only after depositing this fee can you participate in the Fee Committee meeting. If the fee is not deposited within the stipulated time, you will be responsible for being excluded from the committee.

सूचना

सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि राजस्थान विद्यालय फीस अधिनियम 2016 व नियम 2017 के अनुसार हमारे विद्यालय में फीस कमेटी का गठन किया शैक्षणिक सत्र 2025–26 की फीस निर्धारण करने हेतु किया जाना है। जिसके लिए नियमानुसार शुल्क रु 50.00(पचास रुपये) दिनांक 10.08.2024 तक जमा कर पीटीए का सदस्य बनने हेतु ऑनलाईन (आरटीई पोर्टल पर) या विद्यालय में आकर निर्धारित पत्र भरें। इस कमेटी की सदस्यता शुल्क जमा कराने पश्चात् ही आप फीस कमेटी की मीटिंग में भाग ले सकेंगे। निर्धारित अवधि में शुल्क जमा नही कराने पर पीटीए से वंचित होने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

अभिभावक द्वारा एसएलएफसी की सदस्यता हेतु
आवेदन के लिये भरा जाने वाला प्रपत्र

विद्यालय का नाम
विद्यार्थी की एन.आई.सी. आई.डी
अभिभावक का नाम
लिंग

अभिभावक की शैक्षिक योग्यता (निरक्षर/ साक्षर/ उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च
माध्यमिक/ स्नातक/ स्नातकोत्तर) :-

अभिभावक के आधार नम्बर :-

मोबाईल नम्बर :-

- मैं विद्यालय विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में सामान्य समझ रखता हूँ।
- वित्तीय प्रबन्धन एवं लेखा की सामान्य जानकारी रखता हूँ।
- विद्यालय द्वारा छात्रहित में लिये जाने वाले निर्णय में भागीदार रहूंगा।
- मेरा पुत्र/पुत्री आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत निःशुल्क अध्ययनरत है।
- मैं एसएलएफसी का सदस्य चुने जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

हस्ताक्षर
अभिभावक